राजस्थान के डीजी,चीफ सेकेट्री के बंगलों से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित अवैध रुफ टॉप होटल बार "सवाना" मे अल सुबह तक चलती है दारू पार्टियां और नाइट क्लब मे मस्तियाँ!!

अवैध रुफ टॉप होटल बार "सवाना" के निर्माण से लेकर, देर रात तक चलने पर, उठ रहे ढेरों सवाल?

पर्यटन,आबकारी और पुलिस विभागों के साथ साथ नगर निगम-ग्रेटर के मालवीय नगर जोन व अग्निशमन शाखा की कार्यशैली एक बार फिर कटघरे मे!!

भवन विनियमों और रुफ टॉप रेस्टोरेंट बायलॉज़ की धज्जियां उड़ाते हुए, आखिर बिना नगर निगम ग्रेटर/मालवीय नगर जोन की अनुमति के कैसे बिल्डिंग की छत पर बना दी गई अवैध रुफ टॉप होटल बार!!सवाना!

आखिर कैसे जारी की गई इस अवैध रुफ टॉप होटल बार को फायर एनओसी?

क्या सवाना द्वारा रुफ टॉप रेस्टोरेंट और अग्निशमन नियमों से संबंधित सभी मानदंडों की पालना की जा रही है?

राजस्थान मे रात 11 बजे के बाद रेस्त्रों बार,नाइट क्लब चलाने पर पाबंदी!!

लेकिन इसके बावजूद अल सुबह 4-5 बजे तक चलता है सवाना?

आखिर कहाँ है इलाके का थानेदार,चेतक की गाड़ियां और कमिश्नरेट की सीएसटी टीम?

सबसे बड़ा सवाल?

आखिर आबकारी विभाग द्वारा कैसे जारी किया गया "सवाना" को रेस्टोरेंट बार की जगह होटल बार का लाईसेंस? जबकि बिल्डिंग मे कोई होटल नहीं?

इसी बिल्डिंग के चार तलों पर संचालित है डायग्नोंस्टिक सेंटर,डॉक्टरों के क्लिनिक,कोचिंग सेंटर!! होटल का कही नामोनिशान नहीं!!

आखिर कैसे और कहाँ पर दिखाए गए है होटल के 20 कमरे,रिसेप्शन और अन्य सुविधाएं?

आखिर किन किन अधिकारियों की अनुशंसा पर जारी किया गया है सवाना को होटल बार का लाईसेंस?

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/palm/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 6 मार्च 2024

बिल्डिंग के पीछे हीराबाग कॉलोनी,पास मे आवासीय कॉम्प्लेक्स जबकि बिल्डिंग के सामने सेंट्रल पार्क और जैनियों की प्रसिद्ध नसियाँ!!

लेकिन स्थानीय निवासियों की लाख शिकायतों के बावजूद नतीजा सिफर!!

जिलो के एसपी,कलेक्टर के बंगलो तक के पास बार खोलने की हिम्मत नहीं!!

लेकिन बार संचालक की दबंगई के चलते, राज्य के डीजीपी,चीफ सेकेट्री के बंगले के पास रुफ टॉप बार खोलने की हुई हिमाकत!!

वह दिन दूर नहीं जब राज्य के मुख्यमंत्री,सचिवालय,उच्च न्यायालय के पास भी खुल जाएंगे ऐसे रुफ टॉप बार और नाइट क्लब!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आखिर कैसे चल रहा है भूखंड संख्या 4 लाल निवास,हीरा बाग की छत पर अवैध बने रुफ टॉप होटल बार "सवाना" मे देर रात तक शराब परोसने का धंधा?

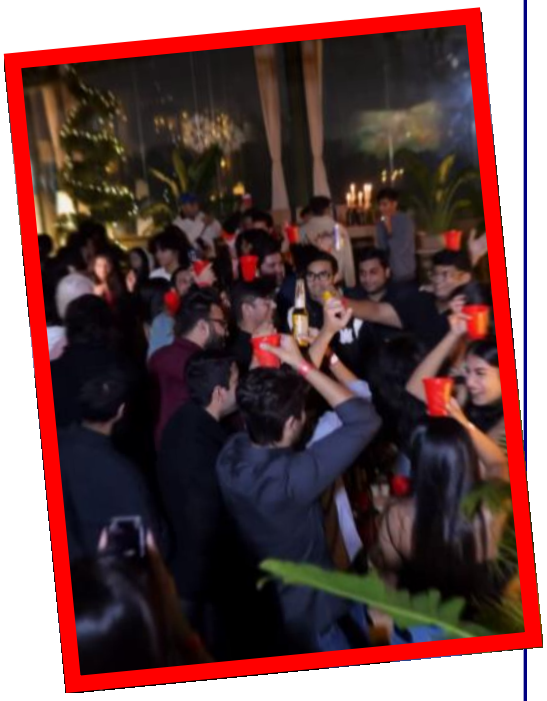

1. पहले संबंधित मालवीय नगर जोन/नगर निगम ग्रेटर से अनुमति लिए बगैर, बिल्डिंग पर बिना नियम कायदों,बिना भवन विनियमों और रुफ टॉप बायलॉज की पालना के अवैध रुफ टॉप होटल बार का किया गया निर्माण!!बिल्डिंग आवासीय,व्यवसायिक या फिर मिश्रित उपयोग के स्वीकृत इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं!!
2. उसके बाद पर्यटन से साँठ गांठ कर आवासीय/व्यवसायिक बिल्डिंग मे कमरे व अन्य सुविधाएं दिखाकर, होटल का फर्जी लाईसेंस करवाया जारी!!
3. होटल के फर्जी लाईसेंस पर आबकारी विभाग ने किया रेस्टोरेंट बार की जगह होटल बार का लाईसेंस जारी!!
4. होटल बार लाईसेंस की आड़ मे ठहरे हुए(इन हाउस गेस्ट) बताकर,पूरी रात चलता है शराब का कारोबार और नाइट क्लब!!जबकि नियमानुसार आबकारी विभाग को करना होता है रेस्टोरेंट बार का लाईसेंस जारी जिसमे केवल बीयर परोसने का अधिकार और रात 11 बजे बाद बीयर परोसने पर भी पाबंदी!!
5. स्थानीय पुलिस मे शिकायत करने पर या तो संबंधित पुलिस जाप्ता "कोई पार्टी नहीं चल रही","पार्टी को बंद करवाया" या फिर अधिक दबाव पड़ने पर होटल के पास अपने गेस्ट्स को रात भर दारू परोसने का अधिकार बताकर,शिकायतों को कर दिया जाता है बंद!!

डीजी और चीफ सेकेट्री के बंगले

भट्टारक जी की जैन नसिया

अवैध होटल बार "सवाना"

नाइट लाईफ के नाम पर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध हमारे जयपुर मे पनप रही शराब संस्कृति!!

शहर मे चल रहा क्लब माफियाओ और पर्यटन,

नगर निगम,जेडीए,पुलिस,आबकारी के भ्रष्ट अधिकारियों का सिंडीकेट!!

क्या मुख्य सचिव करेंगे उनके बंगले से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित भूखंड संख्या 4, लाल निवास,हीरा बाग,टोंक रोड पर चल रहे अवैध होटल बार "सवाना" का औचक निरीक्षण?

छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध हमारे जयपुर मे नाइट लाईफ के नाम पर पनप रही शराब संस्कृति

जैसे जैसे जयपुर महानगर बनता जा रहा है,वैसे वैसे महानगरों की समस्याएं,परेशानियाँ भी जयपुर मे घर करती जा रही है|ऐसी ही एक विकट समस्या जिससे हमारा शहर जूझ रहा है वह है शहर के युवाओ मे होटलों,रुफ टॉप रेस्टोरेंटों,क्लबों के नाम पर फैल रही शराब की संस्कृति|

शराब संस्कृति कभी भी गुलाबीनगर की पहचान नहीं रही है। पर्यटन नगरी होने के बाद भी पिछले कई वर्षों तक यहां पर कभी भी शराब की दुकानों,बारो को धार्मिक स्थल, अस्पताल, शिक्षा के मंदिर सकूल-कॉलेज और मजदूर बस्तियों के पास नहीं खोला गया लेकिन अब हालात अलग हैं। अब आबकारी निरीक्षक मिलीभगत कर धर्म नगरी जयपुर में राजस्व के नाम पर,ना केवल शराब संस्कृति पनपाने को सहयोग दे रहे हैं और धामिक स्थलो, हमारी विरासतो के पास शराब की दुकाने,बार मंजूर कर रहे है बल्कि ऐसे जगहों पर भी होटल/ रेस्टोरेंट बार के लाईसेंस जारी करने से नहीं चूक रहे है जो कि नियम विरुद्ध बने हुए है या फिर अतिसंवेदनशील जगह पर बने हुए है|

पिछली सरकार के अंतिम महीनों मे तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा सख्ती करते हुए, शहर मे देर रात चल रहे करीब 2 दर्जन से भी अधिक रेस्टोरेंट,होटल्स और क्लबों पर कार्यवाही करते हुए,उन्हे बंद करवा दिया था|लेकिन नई सरकार के आने के बाद ना जाने कैसे शहर मे देर रात तक क्लब चलाने वालों के हौसले बुलंद हो रहे है?यदि कारण है कि शहर मे एक बार फिर करीब दो दर्जन से अधिक क्लब,रेस्टोरेंट होटल्स आबकारी,पुलिस और नगरीय विकास विभाग के नियमों को धत्ता बताते हुए,देर रात तक युवाओ को शराब परोस रहे है|

राज्य के डीजी और चीफ सेकेट्री के बंगले के पास,जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया के सामने स्थित भूखंड संख्या 4 लाल निवास,हीरा बाग की छत पर अवैध बने रुफ टॉप होटल बार " सवाना" मे देर रात तक चल रहा शराब परोसने का धंधा|पर्यटन,आबकारी और पुलिस विभागों के साथ साथ नगर निगम-ग्रेटर के मालवीय नगर जोन व अग्निशमन शाखा की कार्यशैली एक बार फिर कटघरे मे!!

शहर मे पनप रहे क्लब माफियाओ का दुस्साहित देखिए कि उन्होने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के बंगले से कुछ कदमो की दूरी पर, अस्पताल रोड पर भट्टारक जी की नसियां के ठीक सामने भूखंड संख्या 4,लाल निवास,हीराबाग की छत पर ना केवल भवन विनियमों की धज्जियां उड़ाते हुए,अवैध रुफ टॉप खोल लिया बल्कि इस अवैध तल पर बने रेस्टोरेंट मे पर्यटन और आबकारी विभाग के अधिकारियों से साँठ-गांठ कर,इस व्यवसायिक/आवासीय बिल्डिंग मे 20 कमरों की होटल बताकर,होटल बार का लाईसेंस भी हासिल कर लिया है|जिसका परिणाम यह है कि अब शहर के अति संवेदनशील जगह पर वीक एंड और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर देर रात या फिर यह कहें कि अल सुबह तक क्लब चलाकर,शराब और अन्य मादक पदार्थ परोसे जाते है,तिस पर अगर कोई पीड़ित पुलिस को फोन करता है तो इस महत्वपूर्ण सड़क से रात मे दसों बार चक्कर काटने वाली चेतक या फिर थाने की गाड़ी मे बैठे थानेदार साहब यह कह कर, शिकायत बंद कर देते है कि " कोई पार्टी नहीं चल रही" , " पार्टी को बंद करवाया" या फिर अधिक दबाव पड़ने पर यह कह कर पल्ला झाड लेते है कि होटल के पास अपने गेस्ट्स को रात भर दारू परोसने का अधिकार है|

रुफ टॉप रेस्टोरेंट बायलॉज़ की धज्जियां उड़ाते हुए,आखिर बिना नगर निगम ग्रेटर और मालवीय नगर जोन की अनुमति के कैसे बिल्डिंग की छत पर बना दी गई अवैध रुफ टॉप होटल बार!!सवाना!

ग्रेटर नगर निगम की अग्निशमन शाखा के हाल

बिना उपायुक्त की अनुमति के जारी कर दी 40 फायर एनओसी

ऑफलाइन पर फोकस ज्यादा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम में अग्निशमन शाखा के अधिकारी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। पिछले एक महीने पर गौर करें तो एनओसी जारी करने में फायर शाखा उपायुक्त को दूर रखा गया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपने स्तर पर ही एनओसी जारी कर रहे हैं। करीब 40 फायर एनओसी जारी की जा चुकी हैं। इसमें इमारतों, अस्थायी आयोजनों सहित अन्य की एनओसी शामिल है।

अग्निशमन शाखा के अधिकारियों का फोकस ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एनओसी जारी करने पर हैं। इस तरह की व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि, अब तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है।

ये है ऑनलाइन प्रक्रिया

- आवेदन के बाद फाइल बाबू के पास जाती है।
- बाबू फाइल को उपायुक्त के पास भेजते हैं।
- इसके बाद फाइल एएफओ, सीएफओ से होते हुए अकाउंट शाखा में जाती है।
- यहां से वापस फाइल उपायुक्त के पास आती है और उस पर वह एनओसी की अनुमति दे देते हैं।
- आवेदनकर्ता एनओसी की प्रति ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेता है।

रंगे हाथ पकड़े गए थे सीएफओ

- अग्निशमन शाखा में रिश्वत का खेल किसी से छिपा नहीं हैं। जगदीश फुलवारी को 50 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ा था। इससे पहले पहले भी कई अधिकारियों को एसीबी ने पकड़ा है।
- जगदीश फुलवारी के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर राजेंद्र नागर को जिम्मेदारी दी है।

नए आवेदनों पर ध्यान नहीं

शहर में कोचिंग संस्थान, होटल से लेकर रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम के पास इनका कोई डेटा नहीं है। नए आवेदनों पर अग्निशमन अधिकारियों का फोकस ही नहीं है। यदि शाखा सही तरह से काम करे तो निगम को 50 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल सकता है। शहर में कम से कम 30 हजार फायर एनओसी होनी चाहिए। लेकिन निगम अब तक 1000 एनओसी भी जारी नहीं कर पाया है।

पेट्रोल पंप और सिनेमा हॉल की एनओसी पुलिस कमिश्नरेट से जारी होती है। हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं। यदि बाकी फायर एनओसी बिना उपायुक्त की अनुमति से जारी हुई हैं तो हम उसकी जांच करवाएंगे।

-राजेन्द्र नागर, सीएफओ, ग्रेटर निगम

शहर के कई रुफ टॉप रेस्टोरेंटों मे लग चुकी आग से हुए जानोमाल के नुकसान से सबक लेने के बाद नगरीय विकास विभाग,राजस्थान द्वारा राज्य मे चल रहे रुफ टॉप रेस्टोरेंट्स के संचालन के संबंध मे “Rajasthan Byelaws for obtaining NOC for Rooftop Restaurant-2019 ” नाम से बायलाज बनाए गए है|इन बाय-लाज के अनुसार:-

1. किसी बिल्डिंग की छत के अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्से को ही रेस्टोरेंट के रूप मे कवर किया जा सकता है|इस 25%हिस्से का निर्माण भी अस्थायी एवं अग्निरोधक मेटेरियल से होना चाहिए|बायलाज के अनुसार लकड़ी,कपड़े,POP और अन्य ज्वलनशील मेटेरियल का निर्माण मे उपयोग नहीं किया जा सकता है|
2. प्रति 1 ECU/4 सीट के हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था|
3. रुफटॉप की दीवारो/रेलिंग की ऊंचाई 1.5 मीटर होगी|
4. अग्निशमन विभाग से संबंधित रुफटॉप की पृथक से NOC प्राप्त करनी होगी|
5. रुफटॉप के ऊपर पानी का ओवेरहेड टेंक पृथक से बनाना होगा|
6. रुफ टॉप की छत पर किसी भी प्रकार से एलपीजी,कोयले,हुक्के,पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता|
7. ग्राहकों को सर्व किए जाने वाले खाने को बनाने की अनयंत्र व्यवस्था करनी होगी|
8. छत पर ध्वनिप्रसारक यंत्रों/तेज आवाज मे बजने वाले DJ के उपयोग की पाबंदी होगी|
9. बायलाज के अनुसार स्वीकृत रुफ टॉप रेस्टोरेंटों का संबंधित निकाय द्वारा गठित कमिटी द्वारा साल मे एक बार निरीक्षण किया जाएगा|
10. इन बायलाज की शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित स्थानीय निकाय उक्त रुफ टॉप रेस्टोरेंट के विरुद्ध संबंधित कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी|

लेकिन इस रुफ टॉप रेस्टोरेंट "सवाना" मे नगरीय विकास विभाग द्वारा बनाए गए नियमों की खुलकर,धज्जियां उड़ाई जा रही है|इतना ही नहीं बायलाज के विपरीत,बिना नगर निगम की अनुमति के, छत पर बनी दो मंजिलों पर,छत के 25% हिस्से से अधिक हिस्से पर बनाए गए पक्के निर्माण मे यह रुफ-टॉप रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है|बायलाज के विपरीत "सवाना" मे देर रात तक तेज आवाज मे DJ बजाया जाता है,आतिशबाजी की जाती है,खाना इसी तल पर बनी रसोइयों मे बनाया जाता है|हुक्के का सेवन "सवाना" मे आम बात है|साथ ही रुफटॉप की दीवारो/रेलिंग/पेरापेट वॉल की जगह फेंसिंग लगाई गई है,जिसकी ऊंचाई भी 1.5 मीटर से कम है,जिसके चलते नशे मे धुत्त कोई भी व्यक्ति आसानी से छलांग लगा सकता है|सबसे बड़ी बात यह है कि इस रुफ टॉप मे 1000 से भी अधिक लोगों की पार्टी करने की व्यवस्था है,जिसके लिए 150-200 अतिरिक्त कारों की पार्किंग की आवश्यकता है,लेकिन इस रुफ टॉप के लिए इस अतिरिक्त पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है|

राजस्थान मे रात 11 बजे के बाद रेस्त्रों बार,नाइट क्लब चलाने पर पाबंदी!!लेकिन इसके बावजूद अल सुबह 4-5 बजे तक चलता है सवाना?आखिर कहाँ है इलाके का थानेदार,चेतक की गाड़ियां और कमिश्नरेट की सीएसटी टीम?

जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जयपुर सहित राज्य के अन्य शहरों मे रात 11 बजे बाद रेस्त्रों बार,नाइट क्लब चलाने पर पाबंदी है|लेकिन इसके बावजूद सवाना के अल सुबह तक चलने से क्लब संचालकों की पुलिस प्रशासन से मिलीभगत साफ नजर आती है|यह तो तब है जब यह क्लब टोंक रोड की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर संचालित है|शहर से दूर स्थित जगहों पर ऐसे क्लबों,होटलों द्वारा स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से क्या आतंक मचाया जाता होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते है|सूत्रों की माने तो सवाना जैसे वीक एंड पर रात भर चलने वाले क्लब 25 हजार से 50 हजार तक की तो केवल स्थानीय पुलिस अधिकारियों को ही मासिक बंधी देते है|विशेष दिनों,पार्टियों पर रात भर क्लब चलाने के लिए अतिरिक्त बंधी दी जाती है|

सबसे बड़ा सवाल?आखिर आबकारी विभाग द्वारा कैसे जारी किया गया "सवाना" को रेस्टोरेंट बार की जगह होटल बार का लाईसेंस?जबकि बिल्डिंग मे कोई होटल नहीं?क्यूंकि इसी बिल्डिंग के चार तलों पर संचालित है डायग्नोंस्टिक सेंटर,डॉक्टरों के क्लिनिक,कोचिंग सेंटर!!आखिर कैसे और कहाँ पर दिखाए गए है होटल के 20 कमरे,रिसेप्शन और अन्य सुविधाएं?आखिर किन किन अधिकारियों की अनुशंसा पर जारी किया गया है सवाना को होटल बार का लाईसेंस?

भ्रष्टाचार मे तो आबकारी विभाग का कोई सानी ही नहीं है|इस विभाग के अधिकारी इतने दबंग और निर्भीक है कि राजधानी जयपुर मे भी सरकार,वित्त विभाग और ACB जैसी जांच एजेंसियों की आँखों मे धूल झोंकने से गुरेज नहीं करते है|जिससे जैसी सेटिंग बैठी उसे उसका मनचाहा लाईसेंस(ओकेशनल लाईसेंस, रेस्टोरेंट बार,होटल बार या फिर हेरिटेज होटल बार) दे दिया| आबकारी नियमों के अनुसार रुफ टॉप पर अथवा किसी रेस्टोरेंट के अंदर केवल आबकारी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट बार जारी करने का अधिकार है जिसमे केवल बीयर परोसी जा सकती है और हार्ड लिकर परोसने की मनाही होती है|आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत रेस्टोरेंट बार केवल अन्य रेस्टोरेंट्स की तरह ही रात 11 बजे तक चलाए जा सकते है|इसके विपरीत होटल लाईसेंस के लिए 20 कमरों,बेनक्वेट हॉल,शराब काउंटर की जगह,टॉयलेट्स आदि सुविधाओ की दरकार होती है और आबकारी विभाग,पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की टीम द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत होटल लाईसेंस देने की अनुशंसा की जाती है|होटल लाईसेंस लेने के बाद होटल संचालक द्वारा अपने ग्राहकों को राज्य सरकार से स्वीकृत बीयर और शराब के ब्रांड परोसे जा सकते है|ग्राहकों की सुविधा के अनुसार होटल संचालक अपने इन हाउस गेस्टों को रात भर शराब परोस सकता है|जिस पर पुलिस को भी एतराज नहीं हो सकता|

इसी खेल का फायदा उठाते हुए सवाना के संचालकों द्वारा आबकारी,पर्यटन विभाग और अन्य अधिकारियों से साँठ गांठ कर इस चार मंजिला आवासीय/व्यवसायिक बिल्डिंग मे ना जाने किस कोने मे 20 कमरे,बेनक्वेट हाल और अन्य सुविधाएं दिखाकर होटल बार का लाईसेंस प्राप्त कर लिया है,जिसके चलते अब वह रात भर इन हाउस गेस्ट बताकर,सोशल मीडिया पर विज्ञापन कर,सैंकड़ों युवाओ को पार्टी बाजी करने अपने क्लब मे बुलाकर,एक साथ कई विभागों के नियमों को तार-तार कर रहा है|आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को जिसे हाउस ऑफ डॉक्टर्स के नाम से जाना जाता है,के तीन तलों पर डायग्नोंस्टिक सेंटर,डॉक्टरों के क्लिनिक,कोचिंग सेंटर संचालित है ऐसे मे इस बिल्डिंग मे कहाँ पर 20 कमरे और अन्य सुविधाएं बताई गई होगी, यह जांच का विषय है|साथ ही यह सवाल भी उठना लाजमी है कि यदि कोई होटल है तो फिर उसका विज्ञापन क्यूँ नहीं?इस होटल के बनने के बाद कितने जनों को होटल के कमरों मे ठहराया गया?

होटल के नाम पर सरकार को कितना टेक्स दिया गया?कहीं यह कमरे रात को होने वाली पार्टियों मे कुछ और काम तो नहीं आते?कहीं इन कमरों मे सेक्स रेकेट तो नहीं चलाया जाता है?

बिल्डिंग के पीछे हीराबाग कॉलोनी,पास मे आवासीय कॉम्प्लेक्स जबकि बिल्डिंग के सामने सेंट्रल पार्क और जैन संप्रदाय की प्रसिद्ध नसियाँ!!लेकिन स्थानीय निवासियों की लाख शिकायतों के बावजूद नतीजा सिफर!!क्या मुख्य सचिव करेंगे उनके बंगले से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित भूखंड संख्या 4, लाल निवास,हीरा बाग,टोंक रोड पर चल रहे अवैध होटल बार सवाना" का औचक निरीक्षण?

आपको बता दें कि इस अवैध होटल बार सवाना से चंद कदमों की दूरी पर डीजीपी और चीफ सेकेट्री के बंगले होने के साथ साथ बिल्डिंग के पीछे हीराबाग कॉलोनी भी स्थित है जिसमे सैंकड़ों परिवार निवास करते है|इसी के साथ बिल्डिंग के सामने सेंट्रल पार्क और जैन संप्रदाय की प्रसिद्ध नसियाँ भी स्थित है|ऐसा नहीं है कि इस रात भर चलने वाले अवैध बार की आज तक शिकायत नहीं की गई हो?स्थानीय निवासियों की लाख शिकायतों के बावजूद पिछले छह महीनों से इस क्लब मे रात भर चलने वाली धमाल अब आम हो चली है और स्थानीय निवासी यही उम्मीद लगाए बैठे है कि जिलों मे कई सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर,उनकी कलई खोलने वाले सूबे के मुखिया यानि कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत कब अल सुबह या देर रात इस क्लब " सवाना" का औचक निरीक्षण कर,जिम्मेदार अधिकारियों को कठघरे मे खड़ा करते है|

शहर मे बढ़ रही अल सुबह रोड रेजिंग और हिट एंड रन की घटनाएं|

यदि आप पिछले छह महीने का अखबार उठाकर देखें तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे शहर मे अल सुबह रोड रेजिंग और हिट एंड रन की घटनाएं बढ़ रही है|क्यूंकि ऐसे ही अल सुबह तक चलने वाली नाइट पार्टियों से निकलने वाले बिगड़ेल शहजादे तेज गति से गाड़ी दौड़ाते हुए,यमदूत का भेष धरे,बेकसूर लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलकर,जाने-अनजाने हत्या जैसा जघन्य अपराध कर रहे है और जिम्मेदार केवल कागजी खानापूर्ति कर,साधारण धाराओ मे मामला दर्ज कर,मामले को रफा-दफा कर देते है|

Speeding vehicles remain a menace, cause accidents

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The city is reeling under the relentless menace of speeding vehicles, causing a wave of accidents. In Feb alone, four lives were cut short in separate incidents, with numerous others left injured due to excessive speeding.

Despite concerted efforts, law enforcement agencies struggle to rein in such incidents, particularly those occurring post-midnight when security measures are at their most lax.

Newly appointed additional commissioner of police (traffic), Preeti Chandra, conveyed to TOI that she has issued a directive to the traffic police, emphasising stringent patrolling to com-

BLOOD ON ROADS

- **FEB 3:** An SUV allegedly carrying inebriated partygoers, with a drunk driver, fatally struck a 35-year-old man. Subsequently, the vehicle crashed into three houses along Jhalana Road in the city
- **FEB 21:** A Haryana Roadways bus fatally struck a 70-year-old man near Moti Dongari Circle, leading to his death on the secne
- **FEB 17:** A 53-year-old woman employed at a private school was fatally hit by a bus while it was reversing in the Bindayaka area
- **FEB 10:** A six-year-old boy was injured after being struck by a speeding car at
- **FEB 25:** Two men lost their lives, and three others sustained injuries when a speeding SUV collided with an auto-rickshaw in Mansarovar
- **FEB 27:** A 33-year-old man was injured after an iron angle pierced through his body on the Jaipur-New Delhi National Highway when his car overturned
- **FEB 29:** A 30-year-old man in Kho Nagoriyan sustained injuries after a speeding jeep collided with an auto-rickshaw
- **FEB 29:** A speeding SUV struck a woman on Moti Doongari, resulting in her sustaining injuries
- **MARCH 1:** A speeding

Contact for Dealership : 85588 07777

सड़क हादसों में हिट एंड रन की घटनाएं ज्यादा, एक माह में आधा दर्जन से अधिक केस सामने आए

ओवरस्पीड कार चालक ने किया था हादसा, घर के लिए एकत्र किए पैसों से एक माह से करवा रहे बेटे का इलाज

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट

क्राइम रिपोर्टर | जयपुर

शहर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में हिट एंड रन की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। हिट एंड रन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने नए कानून में वाहनों चालकों पर सख्ती का प्रावधान भी रखा था, लेकिन लोगों के विरोध के चलते बदलाव के लिए रोक लिया। राजधानी में पिछले एक माह में करीब आधा दर्जन से ज्यादा हिट एंड रन की घटनाएं हुई है, जिनमें कुछ घायल एक-एक माह से हॉस्पिटल में भर्ती है। इन गंभीर हादसों को अंजाम देने वाले वाहन चालक पुराने एमवी एक्ट के तहत कागजी कार्रवाई करवाने के बाद जमानत पर मजे से बाहर घूम रहे है।

हिट एंड रन के मामलों में वाहन चालक मौके से भाग जाते हैं, ऐसे में मेडिकल होना संभव नहीं। बाद में जांच कर गाड़ी की पहचान करते हैं, तो चालक बदल जाते हैं, या शराब पीकर वाहन चलाने की स्थिति सिद्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसे में धारा 304-ए में मामले दर्ज कर कोर्ट में पेश किए जाते हैं। - लक्ष्मण दास, डीसीपी ट्रैफिक

हादसों के आंकड़े इस प्रकार

	जोन	दर्ज	मृतक	घायल
2021	उत्तर	201	56	168
	दक्षिण	559	175	441
	पूर्व	701	178	622
	पश्चिम	705	216	560
	योग	2166	625	1791
2022	जोन	दर्ज	मृतक	घायल
	उत्तर	240	49	212
	दक्षिण	640	199	506
	पूर्व	908	256	708
	पश्चिम	899	262	739
	योग	2687	766	2165
2023	जोन	दर्ज	मृतक	घायल
	उत्तर	251	66	201
	दक्षिण	724	228	581
	पूर्व	1027	259	84
	पश्चिम	912	291	707
	योग	912	291	707

परिजनों के दर्द की परीक्षा : अब चमत्कार होने की उम्मीद

केस 1

सवा माह पहले राजापार्क में फॉरच्यूनर ने एक युवक को टक्कर मारकर घायल किया था। घायल सिंधी कॉलोनी निवासी योगेश छतवानी तब से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। योगेश करीब एक माह तक जवाहर सर्किल स्थित ईएचसीसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। अब करीब 10 दिन पहले परिजनों ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवा दिया। क्योंकि ईएचसीसी में रोज का बिल ज्यादा बन रहा था। योगेश के इलाज में परिजन अब तक 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं।

वेंटिलेटर पर लेटा 21 वर्षीय बेटा... शरीर में 1 महीने से कोई मूवमेंट नहीं। पहले दिन से डॉक्टर्स का एक ही जवाब है कि बचने का चांस न के बराबर है। फिर भी मां-बाप को भरोसा है, कि जरूर कोई चमत्कार होगा और हमारा बेटा लंबी नींद से जागेगा।

योगेश के पिता पैंसी स्टोर चलाते हैं और मां गृहिणी है। बेहतर इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल चुना था।

केस 2

10 सदस्यों वाले परिवार का पालन करने वाले परमानंद की मौत हुई

झालाना में मालवीय नगर की ओर जाते समय हुए हादसे के बाद कार में फंसे पांचों घायलों को स्थानीय निवासियों ने ही कार से बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा था। तब लोगों ने कार चालक को शराब के नशे में होना बताया था। इसके बावजूद दुर्घटना थाना ईस्ट पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए इनोवा के चालक सौरभ का मेडिकल नहीं करवाया, जबकि वह घायल होकर एसएमएस अस्पताल पहुंचा था। घायलों के हाथों में क्लब में एंट्री के बैंड भी मिले थे। इस हादसे में 10 सदस्यों वाले परिवार का पालन करने वाले परमानंद की मौत हो गई। हरिद्वार से लौटने के बाद परिवार आस-पास के लोगों के साथ घर के बाहर बैठा है। परमानंद ने बेटी की चाह में अपने बड़े भाई की बेटी अंशिका को गोद ले रखा था।

जिलो के एसपी,कलेक्टर के बंगलो तक के पास बार खोलने की हिम्मत नहीं!!लेकिन बार संचालक की दबंगई के चलते,राज्य के डीजीपी,चीफ सेकेट्री के बंगले के पास रुफ टॉप बार खोलने की हुई हिमाकत!!वह दिन दूर नहीं जब राज्य के मुख्यमंत्री,सचिवालय,उच्च न्यायालय के पास भी खुल जाएंगे ऐसे रुफ टॉप बार और नाइट क्लब!!!

आपने शायद ही किसी शहर मे किसी एसपी या कलेक्टर के बंगले के पास शराब की दुकान देखी होगी|लेकिन यहाँ पर तो नगर निगम,पर्यटन,अग्निशमन,आबकारी और पुलिस विभाग की मेहरबानी से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के बंगले के पास,जिनके जिम्मे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा होता है,अवैध रुफ टॉप होटल बार " सवाना" को देर रात तक चलने का लाईसेंस जारी कर दिया गया|यदि भ्रष्टाचार और लालफ़ीताशाही के चलते जिम्मेदार विभागों का यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब राज्य के मुख्य मंत्री,सचिवालय और यहाँ तक की विधानसभा,और उच्च न्यायालय के पास भी शराब की दुकानों या फिर नाइट क्लब चलते नजर आएंगे|आबकारी विभाग की इस कारगुजारी पर व्यंग कसते हुए एक तमाशबीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब डीजीपी और मुख्य सचिव के बंगले का लेंडमार्क एसएमएस हॉस्पिटल रोड से बदल कर "सवाना रोड" रख देना चाहिए|

क्या जिम्मेदार करेंगे कार्यवाही?

बहरहाल इस पूरे मामले में अति संवेदनशील क्षेत्र में अवैध रुफ टॉप होटल बार सवाना के खुल जाने और उसके देर रात तक चलने से से कई विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना है कि इस मामले से जुड़े राज्य के डीजीपी,मुख्य सचिव सहित आबकारी विभाग,पुलिस विभाग,नगरीय विकास विभाग,पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी इस गंभीर प्रकरण मे क्या कार्रवाई करते हैं|

क्रम	जिम्मेदार विभाग	संबंधित अधिकारी
1	पुलिस विभाग	कमिश्नरेट,एसएमएस पुलिस थाना
2	आबकारी विभाग	आबकारी दक्षिण सर्कल
3	स्थानीय निकाय	नगर निगम ग्रेटर,मालवीय नगर जोन
4	पर्यटन विभाग	पर्यटन अधिकारी
5	अग्निशमन विभाग	मुख्य अग्निशमन अधिकारी,नगर निगम ग्रेटर